न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 43/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/99

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, शाखा कार्यालय– प्लॉट नं. 13, सैकण्ड फ्लोर खातीपुरा रोड़, वैशाली नगर, जयपुर– 302021।		1. श्री वी आर मैमोरियल शिक्षा समिति जरिये सचिव, पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।

2. मदनलाल पुत्र हीरा राम पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।
3. भागीरथ पुत्र भूराराम, पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।
4. सांवर मल जाट पुत्र भागीरथ राम, पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।
5. नारायण राम पुत्र हीरा राम, पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।
6. शंकर लाल पुत्र भागीराथराम, पता– 17, सरपंच के मकान के पास ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।
7. सूनिता भूखर पत्नि भंवरलाल, पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।
8. सुप्यारी चौधरी पत्नि महादेव प्रसाद, पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।
9. [illegible] पुत्र भूराराम, पता– ग्राम बावरी, पोस्ट शिम्भूपुरा, तहसील नावां पूर्व जिला नागौर, वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन– 341507।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :–

1. श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः 10.03.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 5702633/–(अक्षरे सतावन लाख दो हजार छः सौ तैंतीस मात्र) दिनांक 28.02.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति**– अप्रार्थीगण मालिक सम्पति ग्राम मारोठ के खसरा नम्बर 1709/769 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1765/769 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल क्षैत्रफल 9300 वर्गमीटर (0.93 हैक्टेयर) स्थित ग्राम मारोठ तहसील नावां जिला पूर्व में नागौर वर्तमान जिला डीडवाना–कुचामन में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, एवे ढ़ोचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप 930 वर्गमीटर है तथा आस पडौस निम्न है– उत्तर में :– हीराराम व ओमप्रकाश की सम्पति, दक्षिण में :– हीरा, मूला की सम्पति व रास्ता, पूर्व में :– हीराराम व ओमप्रकाश की सम्पति, **पश्चिम में :– अन्य की भूमि**, जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.03.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 4793446/–(अक्षरे सैंतालीस लाख तिरानवे हजार चार सौ छियालीस रूपये मात्र) दिनांक 27.04.2024 तक शेष देय व दिनांक 27.04.2024 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 27.04.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि रूपये 4793446/–(अक्षरे सैतालीस लाख तेरानवे हजार चार सौ छियालीस रूपये मात्र) दिनांक 27.04.2024 तक शेष देय व दिनांक 27.04.2024 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली [illegible] रेकर्ड का अवलोकन किया। केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड बैंक [illegible] 4793446/– रूपये की राशि बकाया बताये गये। अप्रार्थी ने ब्याज सहित कितनी [illegible] जमा करवा दी एवं अप्रार्थी किस दिनांक को डिफाल्टर घोषित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

प्रार्थी बैंक की ओर से श्री दीपक साहनी द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। श्री दीपक सहानी के शपथ पत्र में विवरण अपूर्ण है। प्रार्थी बैंक की तरफ से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.09.2024 को दिये गये निर्देशों की पालना भी नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उपरोक्त कमियों की पूर्ति करते हुए नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:52:03 IST
Reason: SelfAttested